



ट्रायबल वेलफेर टिचर्स एसोसिएशन (मोप्रो)

सातवें वेतन मान के निर्धारण के समय पूछे जाने वाले प्रश्न

क्र	प्रश्न	स्थिति	नियम
1.	क्या 1 जुलाई 2018 में वेतन वृद्धि लगाकर वेतन निर्धारण होगा ?	ठीं, 1 जुलाई 2018 को 6 टे वेतन में वेतन वृद्धि लगाकर वेतन निर्धारण किया जाएगा।	सेवाशर्तों की कंडिका 2.01 के अनुसार
2.	1 जुलाई 2018 को विद्यामान वेतन मान का गुण किस संरच्चया में किया जाएगा 2.57 या 2.62 ?	1 जुलाई 2018 को विद्यामान वेतन मान में मूल वेतन + ब्रेड पे के योग को 2.57 के गुण किया जाएगा।	7 वें वेतनमान के नियम 3 (iv) एवं रूपरेखा के अनुसार 02/11/17 के अनुसार
3.	1 जुलाई 2018 के बाद क्रमोन्नत वेतन मिलने पर वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा ?	1 जुलाई 2018 के बाद क्रमोन्नत होने पर 7 वें वेतन मान के मूल वेतन की तुलना में वरिष्ठ वेतनमान (जिसमें क्रमोन्नति प्रदान की गयी है) की अनली कोषिका में वेतन प्रदान किया जाएगा। उदाहरण - कोई मध्यामिक शिक्षक क्रमोन्नति के पूर्व अपने इंडेक्स में 42700 मूल वेतन प्राप्त करता है तो क्रमोन्नति पर वर्तमान वेतन में एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाकर वेतन 44000 प्रदान किया जाएगा एवं वरिष्ठ वेतन मान (उ मा शि के इंडेक्स में) समकक्ष, यदि समकक्ष नहीं है तो उच्च वेतन 44600 प्रदान किया किया जाएगा।	7 वें वेतनमान के नियम 13 के अनुसार
4.	क्या क्रमोन्नति पर वेतन वृद्धि तिथि बदलेगी ?	यदि क्रमोन्नति 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच होगी तो कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु यदि	7 वें वेतन मान का नियम 10

		क्रमोन्नति 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच हुई है तो वेतन वृद्धि तिथि 1 जनवरी हो जाएगी।	
5.0	1 जुलाई 2018 को हमारी नियुक्ति हुई है क्या हमारी वेतन वृद्धि तिथि बदलेगी ?	7 वेवेतन मान का नियम 8 नियुक्ति को परिभाषित करता है, इसके अनुसार नियुक्ति से आशय सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति से है। हमें नए पद पर नियुक्त किया गया हैं, एवं विद्यामान वेतन से वेतन का निर्धारण हो रहा है। इस कारण क्रमोन्नति के प्रकरणों को छोड़कर वेतन वृद्धि तिथि में बदलाव नहीं होगा।	7 वेवेतन मान का नियम 8
6.0	गृह भाड़ा भत्ता कैसे निर्धारित होगा ?	6 टे वेतन मान के अंतिम मूल वेतन के आधार गृह भाड़ा भत्ता तय किया जाएगा	7 वेवेतनमान की अधिसूचना एवं सेवा शर्तों की कंडिका 2.07 के अनुसार
7.0	समूह बीमा योजना (GIS) क्या है और कितना मिलेगा ?	समूह बीमा योजना मेडिकलेम एवं बीमा योजना है। प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक 200,उ मा शि 400 का अंशदान काटा जाएगा।	सेवा शर्तों की कंडिका 2.10 के अनुसार
8.0	नवीन पेंशन योजना में अंशदान कैसे काटा जाएगा	नए वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10 %	वेतन निर्धारण आदेश 22/07/2017 की कंडिका 8

सुरेश यादव (9926809650)

प्रदेश महसूचिव TWTA

नोट -सिर्फ वाट्स एप पर संपर्क करने के लिए नंबर उपलब्ध करवाए गए हैं, कृपया अनावश्यक काल ण करें।

श्री डी के सिंगौर (9425483556)

प्रदेश अध्यक्ष TWTA